(124)

No. 9552 – I/16

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नवीन पु. 2552/16

/2016–17/निगरानी

1–नवीन आयु 32 वर्ष
2–प्रवीण आयु 38 वर्ष
3–प्रदीप आयु 42 वर्ष
पुत्रगण श्री श्रीराम
निवासीगण– ग्राम अकोड़ा तह. भिण्ड
............निगरानीकर्ता

दिनाँक 1-8-16 को श्री राजेन्द्र शर्मा अधि० द्वारा प्रस्तुत। 1-8-16

विरूद्ध
1–वासूदेव पुत्र श्री विश्वनाथ
2–श्रीराम पुत्र श्री विश्वनाथ
निवासी– ग्राम अकोड़ा तह. भिण्ड
.........प्रति निगरातीकर्ता

वर्तमान निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.16 प्रकरण कमांक 174/2015–16/निगरानी मे पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

माननीय न्यायालय,
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की जा रही निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, कृषि भूमि स्थित ग्राम अकोडा के खाता कमांक 588 कुल किता 12 कुल रकवा 5.528 हेक्टेयर भूमि में 0.755 हेक्टेयर के भू स्वामी मृतक गेंन्दालाल पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ ब्राम्हण निवासी अकोडा रहे । उक्त भूमि में जो ग्राम अकोडा तह. व जिला भिण्ड स्थित भूमि का सर्वे कमांक 3468, 3477, 3479,3481,3482 मिन, 3483, 3484, 3529, 3530, 3533, 3559, 3564, कुल किता 12 इस प्रकार हुआ ।
2. यहकि, भूमि के भू स्वामी श्री गेन्दालाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपने उपरोक्त वर्णित स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि के संबंध में एक लिखितम वसीयतनामा दिनांक 08.07.2010 को निगरानीकर्तागण के हित में समक्ष वगाहन स्वेच्छा से संपादित की ओर उक्त संपादित वसीयत का पंजीयन नोटरी महोदय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के यहां पर कराया गया। उक्त वसीयत के संपादनकर्ता द्वारा वसीयत स्वेच्छा से संपादित करने के बाद अपने पास रखी रही जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण को तत्समय नही रही । परंतु श्री गेन्दालालजी द्वारा संपादित उक्त वसीयत की जानकारी प्रतिनिगरानीकर्तागण को प्रांरभ से रही क्योकि उक्त तथ्य वसीयत संपादनकर्ता द्वारा सभी लोगो को स्वयं ही तत्समय बताया गया था । स्व श्री गेन्दालाल पुत्र श्री विश्वनाथ का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2011 को ग्राम अकोडा तहसील व जिला भिण्ड में हुआ । श्री गेंन्दालाल पुत्र श्री विश्वनाथ का अंतिम सस्कार निगरानीकर्ता 01 द्वारा किया गया ओर अंतिम कार्यपूजा इत्यादि भी निगरानीकर्ता 01 द्वारा स्वयं बगेर किसी सहयोग से की गई जिसमें प्रतिनिगरानीकर्तागण का कोई सहयोग तत्समय प्राप्त नही हुआ ।
3. यहकि, सम्पत्ति के स्वामी स्व. श्री गेन्दालाल पुत्र स्व. श्री विश्वनाथ के स्वर्गवासी होने के उपरांत निगरानीकर्तागण उक्त आगात से काफी व्यतीत थे ओर शोकाकुल

XXIX(a)-BR(H)-11

(424)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2552-एक/16 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्त श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-1-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	